फाइल सं. एम-24013/55/2017-एम.यू.सी.-I (खंड-II)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांकः- 23 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषयः **प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति-2020 के बारे में।**

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 8 मार्च, 2019 के बीओसी आई. डी. सं. 14/0148/2018-19/एमआरएंडसी का संदर्भ लेने तथा मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित 'प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति-2020' की प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. 'प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020' 01 अगस्त, 2020 से प्रभावी होगी।

संलग्नकः यथोपरि।

ह.

(अमरेंद्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो

(ध्यानाकर्षणः श्री सत्येन्द्र प्रकाश, महानिदेशक)

सूचना भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः एनआईसी सेल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

यह नीति 01 अगस्त, 2020 से प्रभावी

भारत सरकार
की
प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति – 2020

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

जुलाई, 2020

1. पृष्ठभूमि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट वेबसाइट, मुद्रित साहित्य, बाह्य प्रचार माध्यम और नृत्य, नाटक, लोकगीत आदि जैसे संचार के पारंपरिक साधनों सहित जन संचार के बहु माध्यमों द्वारा सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की सूचना के प्रसार हेतु उत्तरदायी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसारण क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों के साथ-साथ लोक सेवा प्रसारण (प्रसार भारती), मल्टी-मीडिया विज्ञापन तथा सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार, फिल्म संवर्धन और प्रमाणन तथा प्रिंट मीडिया के विनियमन के लिए मुख्य केंद्र बिन्दु भी है। यह भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में भी कार्य करता है जो अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ सूचना और संचार गतिविधियों के समन्वय का कार्य करते हैं।

अतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मिशन और विज़न, ज्ञान, मनोरंजन तथा सूचना की सुविधाओं और प्रसार के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह कार्य सरकार की अग्रणी/प्रमुख स्कीम योजनाओं की प्रभावी पहुँच, लोक सेवा प्रसारण को सुदृढ़ बनाने (टी.वी. तथा रेडियो), प्रसारण क्षेत्र के विकास को गति देने और स्वस्थ मनोरंजन के लिए मूल्यपरक सिनेमा को बढ़ावा देने की योजनाओं द्वारा किया जाता है।

पूर्ववर्ती विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (विदृप्रनि), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) तथा गीत एवं नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) का एकीकरण कर 8 दिसंबर, 2017 को लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) का गठन किया गया। इस ब्यूरो का लक्ष्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू)/स्वायत्त निकायों को 360 डिग्री अर्थात् संपूर्ण रूप से संचार समाधान प्रदान करना है। यह ब्यूरो मीडिया संबंधी कार्यनीति पर सरकार के लिए एक परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करता है। उनके 23 प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो (आरओबी) और 148 क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो (एफओबी) के साथ, बीओसी विकासात्मक गतिविधियों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों को शिक्षित करने में लगा हुआ है।

"भारत सरकार की ओर से विज्ञापनों के निर्माण और जारी करने" के संबंध में कार्य आबंटन नियम, 1961 के पैरा VI (23) के अनुसरण में भारत सरकार के ग्राहक मंत्रालयों/विभागों और संगठनों की ओर से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाह्य प्रचार मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट वेबसाइटों आदि के माध्यम से प्रदत्त निर्धारित दरों पर किए गए भुगतान के लिए लोकसंपर्क अभियानों के लिए बीओसी एक नोडल संगठन है।

2. नीति दिशानिर्देशों की आवश्यकता

बीओसी सूचना का प्रसार करता है और विज्ञापनों के माध्यम से सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाह्य प्रचार मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट वेबसाइट आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से अभियानों का संवर्धन करता है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और भारत सरकार द्वारा प्रशासित और वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों की ओर से आम जनता के बीच जागरुकता पैदा करता है।

इन क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए बीओसी को सक्षम बनाने के प्रयोजन से स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिसमें समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया (इसके पश्चात् इसे 'प्रकाशन' कहा जाएगा), विज्ञापन जारी करना, विज्ञापन दर, बिलों का भुगतान और दंड का प्रावधान अपेक्षित है।

3. नीति संबंधी दिशानिर्देशों के उद्देश्य

प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य समाचारपत्रों और वर्तमान घटनाक्रमों के साथ-साथ विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, फिल्म, सांस्कृतिक विषयों इत्यादि की पत्रिकाओं के माध्यम से पाठ्यसामग्री या संदेशों का व्यापक संभावित कवरेज प्रदान करना है।

बीओसी स्वीकृत प्रकाशनों को सूचीबद्ध करके विज्ञापन जारी करने के लिए अनुमोदित प्रकाशनों की सूची का रख-रखाव करेगा। बीओसी केवल ऐसे प्रकाशनों को ही सूचीबद्ध करेगा जो भारत सरकार के विज्ञापन जारी करने के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे।

बीओसी सूचीबद्धता के दौरान, देश के विभिन्न हिस्सों में समाज के विभिन्न वर्गों के पाठकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रकाशनों की सूचीबद्धता हेतु प्रयास करेगा।

सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य प्रकाशनों को वित्तीय सहायता देना नहीं है।

4. परिभाषाएं

लघु समाचारपत्रः प्रति प्रकाशन दिवस में प्रकाशनों की परिचालन/प्रसार संख्या 25,000 प्रतियों तक हो;

मझोले समाचारपत्रः प्रति प्रकाशन दिवस में प्रकाशनों की परिचालन/प्रसार संख्या 25,001 से 75,000 प्रतियों तक हो;

बड़े समाचारपत्रः प्रति प्रकाशन दिवस में प्रकाशनों की परिचालन/प्रसार संख्या 75,000 से अधिक हो ।

बीओसी के ग्राहकः भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और भारत सरकार द्वारा प्रशासित और वित्त पोषित शिक्षण संस्थान।

5. ग्राहक मंत्रालयों और विभागों के लिए निर्देश

भारत सरकार के (कार्य आबंटन नियम) 1961 के पैरा VI (23) के अनुपालन में, बीओसी को भारत सरकार की ओर से विज्ञापनों के निर्माण और रिलीज के लिए सशक्त बनाया जाता रहा है और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समय-समय पर दिनांक 12 दिसंबर, 2009 के डी. ओ. सं. 331/1/1/2008-सीए.वी., दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 331/2/2/2014-सीएबी III, दिनांक 30 सितंबर, 2016 के डी.ओ.सं. 331/2/2/2014-सी.ए.III/सीएवी और दिनांक 20 जून, 2017 के डी.ओ. सं. 1/27/2009-एम.यू.सी. (खण्ड-II) द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है।

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय और सोसाइटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारत सरकार के शिक्षण संस्थान अपने सजावटी(डिस्प्ले) विज्ञापन बीओसी के माध्यम से जारी करेंगे। तथापि, वे वर्गीकृत विज्ञापनों (अर्थात् निविदा नोटिस, नीलामी नोटिस, भर्ती विज्ञापनों आदि) को बीओसी दरों पर बीओसी में सूचीबद्ध प्रकाशनों से सीधे जारी कर सकते हैं और अपने भर्ती विज्ञापनों को बीओसी दरों पर सीधे रोजगार समाचार में प्रकाशित कर सकते हैं।

बीओसी के सभी ग्राहकों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) को अपने वार्षिक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) बजट के 80% तक का पहले ही प्राधिकार पत्र(एल ओ ए) के माध्यम से वित्तीय वर्ष के बजट की पहली तिमाही में बीओसी को अग्रिम रूप में सौंप देना होगा ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन शिक्षण संस्थान अपने वार्षिक आईईसी बजट का 80% चेक/डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से

वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जमा करेंगे और वित्तीय वर्ष की 28 फरवरी से पहले सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, बीओसी द्वारा विज्ञापन जारी करने से पहले ग्राहक मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि द्वारा विज्ञापनों के अनुमानित व्यय का 100% अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना होगा।

6. प्रकाशनों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया

पैनल सलाहकार समिति (पीएसी)

सरकारी विज्ञापनों को प्राप्त करने के लिए प्रकाशनों के सूचीबद्ध किए जाने के आवेदन पर विचार करने के लिए एक पैनल सलाहकार समिति (पीएसी) गठित की जाएगी। समिति की संरचना निम्नवत् होगीः

(i) अपर महानिदेशक (एम आर एण्ड सी) बीओसी- अध्यक्ष
(ii) पत्र सूचना कार्यालय(पीआईबी) के अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार)- सदस्य
(iii) प्रेस पंजीयक/अपर प्रेस पंजीयक- सदस्य
(iv) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रिंट मीडिया का कार्य देख रहे निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव- सदस्य
(v) प्रिंट मीडिया नीति के प्रभारी अपर महानिदेशक/निदेशक, बीओसी-संयोजक/सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
(vi) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित बड़े, मझोले और लघु समाचारपत्रों की श्रेणी के एक-एक प्रतिनिधि- गैर-सरकारी सदस्य

समाचारपत्रों को सूचीबद्ध करने के बारे में प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, बीओसी द्वारा स्वीकृत पैनल सलाहकार समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी।

पैनल सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य की कार्यावधि सरकार द्वारा उनके नामांकन की तिथि से दो (2) वर्ष तक होगी।

सूचीबद्धता हेतु पात्रता मानदंड

सूचीबद्ध करने के लिए विचारार्थ प्रकाशनों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगाः-

(i) उनका प्रकाशन 36 माह की अवधि से निर्बाध और नियमित रूप से कम न हो।

(ii) घरेलू पत्रिकाएं, स्मारिकाएं, वार्षिक पत्रिकाएं, द्वि-मासिक, त्रैमासिक और किसी पत्रिका के दूसरे संस्करण को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

(iii) 36 माह की अनिवार्य, निर्बाध और नियमित प्रकाशन अवधि में निम्नलिखित श्रेणियों को 6 माह की छूट दी जा सकती है:-

(क) बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिन्धी, उर्दू और जनजातीय भाषाओं/बोलियों जैसे अल्प प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं का प्रकाशन;

(ख) जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दीव द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह और उत्तर-पूर्वी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रकाशित समाचारपत्र और पत्रिकाएं।

(iv) सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लघु और मझोले समाचारपत्रों के मामलों में, उपरोक्त पैरा 6.2 (iii) (क) में उल्लिखित भाषाओं के अलावा, निर्बाध और नियमित प्रकाशन की मान्य अवधि 12 माह होगी।

(v) समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के सूचीबद्ध होने के लिए योग्य माने जाने हेतु प्रति प्रकाशन दिवस पर 2000 प्रतियों से कम का परिचालन/प्रसार नहीं होना चाहिए। तथापि, उपर्युक्त पैरा 6.2 (iii) के तहत कवर किए गए प्रकाशनों को प्रति प्रकाशन दिवस में न्यूनतम 500 ब्रिक्रित प्रतियों के परिचालन की आवश्यकता है।

(vi) प्रकाशकों को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

(vii) विगत छः(6) वर्षों में बीओसी ने उन्हें अयोग्य घोषित न किया हो।

(viii) उन्हें भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (आर एन आई) के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। उनका आवेदन के समय भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (आर एन आई) के कार्यालय द्वारा पंजीकरण रद्द नहीं किया गया हो।

(ix) समाचारपत्रों का न्यूनतम प्रिंट एरिया निम्नवत होना चाहिए:-

<u>अवधि</u>	<u>न्यूनतम प्रिन्ट एरिया</u>
दैनिक	7,600 वर्ग सें.मी.
साप्ताहिक/पाक्षिक	3,500 वर्ग सें.मी.
मासिक	4,800 वर्ग सें.मी.

(x) **मुद्रण आवश्यकताएं:-** प्रकाशन निम्नलिखित युक्तिसंगत मानदंडों को विशेष रूप से बनाए रखेंगे:

क. मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ सुपाठ्य, स्वच्छ, स्पष्ट होनी चाहिए तथा धब्बों, दोहरी छपाई और काट-छांट रहित होनी चाहिए।

ख. एक ही प्रकाशन के अन्य अंकों से समाचार सामग्री, संपादकीय तथा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

ग. इसमें अन्य प्रकाशनों से समाचार सामग्री, संपादकीय तथा लेखों का प्रत्युत्पादन नहीं होना चाहिए।

घ. समाचारों/लेखों के स्रोत का उल्लेख करना होगा।

ङ. समाचारपत्र के मुखपृष्ठ के शिखर पर समाचारपत्र के शीर्षक और प्रकाशन का स्थान, तिथि तथा दिन मुद्रित होना चाहिए: इसमें भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (आर एन आई) के कार्यालय की पंजीकरण संख्या (मुखपृष्ठ अथवा इंप्रिंट लाइन), खण्ड एवं अंक संख्या, पृष्ठों की संख्या तथा प्रकाशन का मूल्य भी मुद्रित होना चाहिए।

च. समाचारपत्र में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इंप्रिंट लाइन मुद्रित होनी चाहिए।

छ. समाचारपत्र के अंदर के पृष्ठों में पृष्ठ संख्या, प्रकाशन का स्थान (बहु संस्करणों वाले प्रकाशनों में), समाचारपत्रों के शीर्षक और प्रकाशन के दिन का उल्लेख होना चाहिए।

ज. सभी प्रकाशनों में संपादकीय होना चाहिए।

टिप्पणी: सूचीबद्ध/दर नवीकरण के लिए आवेदन करने से पहले प्रकाशक को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नीति में दी गई सभी शर्तों को उनका प्रकाशन पूरा करता है। समर्थित दस्तावेज़ के साथ आवेदनपत्र सभी दृष्टि से पूरा होना चाहिए। अपूर्ण आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नए सूचीबद्धता हेतु आवेदन

समाचारपत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए नया आवेदन एक वर्ष में दो बार अर्थात् पहली बार फरवरी और दूसरी बार अगस्त में बीओसी की वेबसाइट http://davp.nic.in. के एम्पैनलमेंट मॉड्यूल पर किया जा सकता है।

इन आवेदनों पर पैनल सलाहकार समिति (पीएसी) द्वारा विचार किया जाएगा, जिसकी बैठकें प्राप्त आवेदनों की आवश्यकता और संख्या के आधार पर वर्ष में दो बार (जून और दिसंबर माह में) की जाएंगी।

बीओसी के प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक द्वारा नए प्रकाशनों के सूचीबद्धता के लिए पीएसी की अनुशंसाओं की स्वीकृति के पश्चात् उन्हें दर संविदा जारी की जाती हैं, जो अगले माह के पहले दिन से प्रभावी होंगे।

नए सूचीबद्धता और दर नवीकरण के लिए आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज़ों का संलग्न होना

प्रकाशनों को दर नवीकरण के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करनी होंगीः-

क. आर.एन.आई. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।

ख. नीति के अनुसार प्रसार संख्या प्रमाणपत्र।

ग. आर.एन.आई. को प्राप्ति प्रमाण सहित वार्षिक विवरणी की प्रति।

घ. बीओसी द्वारा अपेक्षित प्रकाशन ब्योरे जैसे कि, आकार, भाषा, अवधि, प्रिंट एरिया और प्रिंटिंग प्रेस का ब्योरा;

ङ. आवेदन के साथ नमूना प्रतियों को जमा करना होगा। बीओसी ऐसे संबंधित माह की जमा नमूना प्रतियों की सूचना जारी करेगा;

च. व्यावसायिक विज्ञापनों के लिए प्रकाशन के रेट कार्ड की तीन प्रतियां;

छ. स्थाई खाता संख्या(पैन कार्ड) की फोटो कॉपी (छाया प्रति);

ज. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा जारी नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट (बेबाकी प्रमाणपत्र);

झ. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (जहाँ भी लागू हो);

ञ. 'अनुबंध-क' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार प्रकाशन के प्रसार हेतु प्रकाशक और लागत/सनदी लेखाकार द्वारा उनके कार्यालयी मुहर सहित हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र की मूल प्रति, जिसमें उक्त अवधि के दौरान न्यूज़प्रिंट और इंक स्टोर्ड एवं कंज्यूम्ड का विवरण हो;

**संविदा आधार पर बाह्य स्रोत से मुद्रण के मामले में, प्रकाशक प्रिंटर द्वारा विधिवत प्रमाणित न्यूज़प्रिंट, प्रिंटिंग-इंक आदि के उपभोग-विवरण संलग्न कर सकता है, यदि प्रोफार्मा में इसका उल्लेख नहीं किया गया है.*

अंतिम सूचीबद्धता

सूचीबद्धता के लिए समाचारपत्र के आवेदन के लंबित मामलों पर, प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, बीओसी द्वारा विशेष परिस्थितियों में समाचारपत्र को अनंतिम सूचीबद्धता प्रदान किया जा सकता है।

ऐसे अनंतिम सूचीबद्धता के मामलों को पीएसी की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा, यदि प्रकाशन सूचीबद्धता के लिए निर्धारित सभी औपचारिकताएं और पात्रता शर्तों को पूरा करता हो और अन्यथा सरकारी विज्ञापनों को जारी करने के लिए उपयुक्त पाया जाता हो।

उत्तवर्ती संस्करण की सूचीबद्धता

बीओसी में पहले से ही सूचीबद्ध दैनिक के दूसरे अथवा उत्तरवर्ती संस्करण के कम से कम 4 माह के निर्बाध प्रकाशन के बाद सूचीबद्ध करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, ऐसे संस्करण को दी गई दर, प्रकाशन के पहले दिन से निर्बाध प्रकाशन के 12 माह के पूरा होने तक न्यूनतम दर-स्तर पर रखा जाएगा।

---

7. विज्ञापन दर

बीओसी द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए दर संरचना का निर्धारण दर संरचना समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। ये दरें प्रकाशन की प्रमाणित प्रसार संख्या पर आधारित होंगी।

बीओसी द्वारा जारी विज्ञापनों का भुगतान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 8 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एम-24013/55/2017-एमयूसी-I या इस संबंध में कोई उत्तरवर्ती अन्य आदेश द्वारा जारी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दर के अनुसार किया जाएगा।

महारत्न और नवरत्न जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) हेतु विज्ञापन दर बीओसी की सामान्य विज्ञापन दर का 1.5 गुना होगा। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विज्ञापनों के लिए बीओसी की सामान्य विज्ञापन दरें लागू होगी।

ये दरें संशोधन की तिथि से 3 वर्ष के लिए मान्य होंगी।

दरों के लिए प्रसार मानदंड

आवेदक प्रकाशकों को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ए.बी.सी.)/आरएनआई/लागत लेखाकार/सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा निम्नलिखित मानदंड के आधार पर उनके प्रसार संख्या के प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे:

क. **25,000 तक-** समाचारपत्र पंजीकरण (केंद्रीय) नियम, 1956 या ए.बी.सी. प्रमाणपत्र में वार्षिक विवरणी (प्रपत्र-II) के लिए प्रोफार्मा के अनुसार लागत/चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए)/सांविधिक लेखा परीक्षक (कम्पनियों के मामले में) का प्रमाणपत्र।

ख. **25,000 से अधिक-** ए.बी.सी./आर.एन.आई./पी.आई.बी. से प्रमाणपत्र (प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19 (1) के अधीन प्रेस के पंजीयक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ)

ऐसे प्रकाशनों, जिन्होंने 25,000 से अधिक प्रसार/परिचालन करने के दावे के आधार पर बीओसी दर निविदा जारी किए हैं, को ए.बी.सी. या आर.एन.आई. या पी.आई.बी द्वारा उनके प्रसार को प्रमाणित करने के लिए एक वर्ष (01) का समय दिया जाएगा, जिसके न होने पर उनकी प्रसार/परिचालन संख्या 25000 प्रतियों तक दर निर्धारण के लिए सीमित रखी जाएगी।

बीओसी द्वारा आर.एन.आई./पी.आई.बी./ ए.बी.सी./सांविधिक लेखा परीक्षक/सी.ए. द्वारा सत्यापित पिछले एक वर्ष (01) का अद्यतित उपलब्ध औसत प्रसार संख्या (बिक्रित प्रतियों) जो भी कम हो, का प्रमाणपत्र लिया जाएगा। तथापि, दो माह या इससे अधिक समय में प्रसार संख्या में भारी गिरावट आने की स्थिति में, देय दर के लिए न्यूनतम प्रसार को लिया जाएगा।

ए.बी.सी./आर.एन.आई./पी.आई.बी./सी.ए. द्वारा प्रमाणित बिक्री की गई प्रतियों की प्रसार संख्या के आधार पर बीओसी दर का निर्धारण किया जाएगा।

आरएनआई अथवा पीआईबी द्वारा जारी प्रसार संख्या प्रमाणपत्र की वैधता दो (02) वर्ष होगी। प्रसार संख्या सत्यापन हेतु वर्तमान प्रमाणपत्र को विचार में लिया जाएगा।

पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारपत्र के प्रत्येक प्रकाशन हेतु अलग आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या अपेक्षित है। प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जब कभी समाचारपत्र के एक ही संस्करण की प्रतियां एक से अधिक केंद्रों से मुद्रित होती हैं और यदि समाचारपत्र की विषयवस्तु अलग हो तो वे अलग-अलग संस्करण माने जाएंगे। प्रसार संख्या का सत्यापन करते समय आर.एन.आई. द्वारा इनको अलग-अलग केन्द्र माना जाएगा।

बीओसी द्वारा मुद्रण केंद्र को अलग संस्करण के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। बीओसी समाचारपत्रों के मुद्रण केंद्रों को अलग संस्करण के रूप में आर.एन.आई. के साथ पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि, यदि समाचारपत्र अपने एक प्रकाशन की प्रतियां सुविधानुसार एक से अधिक प्रिंटिंग प्रेस में विषयवस्तु और खाका में पूर्ण रूप से समानता रखते हुए मुद्रित करे तो बीओसी उस प्रकाशन को दरें (रेट) देने के लिए इस प्रकार के मुद्रण केंद्रों की प्रसार संख्या को विचारार्थ ले सकता है।

दर संविदा

सभी सूचीबद्ध प्रकाशन बीओसी के विज्ञापनों के साथ प्रस्तावित दर तथा अन्य नियम एवं शर्तों के आधार पर, जैसाकि समय-समय पर निर्धारित किया गया है, बीओसी के साथ दर संविदा करेंगे ताकि विज्ञापनों के उचित और समय पर प्रकाशन को सुनिश्चित किया जा सके।

दर संविदा दो (02) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

एबीसी/आरएनआई द्वारा अद्यतित प्रसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर तत्काल प्रभाव से दर में परिवर्तन में प्रत्येक वर्ष स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रकाशक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित प्रसार संख्या के साथ आगामी वर्ष की 1 जनवरी से प्रभावी दर-नवीकरण के ऑनलाइन आवेदन के समय आरएनआई को प्रस्तुत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित वार्षिक विवरणी के आधार पर दर में परिवर्तन का दावा कर सकता है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित प्रसार के आधार पर दर संशोधन को दर संविदा के तीन वर्षों में केवल एक बार ही स्वीकृत किया जाएगा। तथापि, प्रसार में वृद्धि/कमी के संबंध में जानकारी देने की स्थिति में, प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, बीओसी तत्काल प्रभाव से इसे स्वीकार कर सकते हैं।

दर संविदा के नवीकरण हेतु आवेदनपत्र बीओसी की वेबसाइट पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन भरा जाएगा तथा यथाअपेक्षित सभी दस्तावेज़ों तथा नमूना प्रतियों सहित विधिवत रूप से भरी हुई हार्ड कॉपी बीओसी में जमा करानी होंगी।

सभी सूचीबद्ध प्रकाशन, आर.एन.आई. को जमा की गई गत वर्ष की वार्षिक विवरणी की प्रति आर.एन.आई. के प्राप्ति प्रमाण के साथ, प्रत्येक वर्ष के जुलाई से सितंबर के दौरान जमा करा दें, ऐसा न करने पर प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, बीओसी द्वारा समाचारपत्र को पैनल से निलंबित कर दिया जाएगा।

यदि प्रकाशन के न्यूनतम दो (2) पृष्ठ रंगीन मुद्रित होते हैं तो रंगीन प्रकाशन माना जाएगा।

8. सूचीबद्ध प्रकाशनों के लिए नियमितता मानदंड

बीओसी के साथ सूचीबद्ध प्रकाशनों को अपना नियमित प्रकाशन सुनिश्चित करना होगा।

दैनिक प्रकाशन के मामले में आवेदक को प्रत्येक माह (फरवरी को छोड़कर) में कम से कम पच्चीस (25) दिन और कैलेंडर वर्ष के बारह (12) माह के दौरान कुल तीन सौ (300) दिन समाचारपत्रों का प्रकाशन करना होगा। साप्ताहिकों के मामलों में, प्रत्येक माह में कम से कम चार (4) संस्करण और कैलेंडर वर्ष में कम से कम 46 अंकों को प्रकाशित करना होगा। पाक्षिकों के मामले में, प्रत्येक माह में कम से कम दो (2) अंकों और कैलेंडर वर्ष में

कम से कम तेईस (23) अंकों को प्रकाशित करना होगा। मासिकों के मामले में, प्रत्येक माह में कम से कम एक (1) अंक और कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम ग्यारह (11) अंकों को प्रकाशित करना होगा।

बीओसी के पैनल में शामिल प्रकाशनों को माह के लिए उनकी प्रतियां आगामी माह में बीओसी को समाचारपत्रों की कम से कम पच्चीस (25), छूट के मामले को छोड़कर साप्ताहिक के मामले मे चार (04), पक्षिकों के मामले में दो (02), मसिकों के मामले में एक (01) जमा करनी होंगी। ऐसा न करने पर उन समाचारपत्रों को विज्ञापन देना बंद कर दिया जाएगा।

9. बीओसी द्वारा प्रसार/परिचालन की पुष्टि

प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, बीओसी प्रसार संख्या की जाँच भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर.एन.आई.) के माध्यम से कराने का अधिकार रखते हैं।

10. विज्ञापनों को जारी करना

बीओसी प्रकाशनों के ऐसे विज्ञापनों को जारी करने से बचेगा, जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कमज़ोर करते हैं या समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता और आचरण के मानदंडों को आघात पहुँचाते हैं। प्रकाशनों के विज्ञापन जारी करते समय बीओसी उन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की राजनीतिक संबद्धता या संपादकीय नीतियों को ध्यान में नहीं रखेगा।

प्रकाशनों के विज्ञापन रिलीज़ ऑर्डर (आरओ) के माध्यम से बीओसी द्वारा जारी किए जाएंगे।

ग्राहक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रीमियम पृष्ठों के लिए अनुरोध करने पर, बीओसी सुनिश्चित करेगा कि रिलीज़ ऑर्डर और डिज़ाइन, प्रकाशनों को अग्रिम रूप में तीन दिन पहले ही उपलब्ध कराएं जाएं। यदि अनुरोध किया गया स्थान उपलब्ध नहीं है तो प्रकाशन उक्त आरओ के अपलोड होने के 24 घंटे पहले बीओसी को रिपोर्ट करें ताकि बीओसी द्वारा आरओ में आवश्यक बदलाव किए जा सकें।

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो(बीओसी) ऐसे पत्र-पत्रिकाओं को अधिक विज्ञापन जारी करने का प्रयास करेगा जो विशेष तौर पर सामाजिक संदेश देने वाले हों तथा जिनके प्रकाशन की कोई निश्चित तिथि न हो। पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य सुदूर क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखने वाले समाचारपत्रों को भी अधिक विज्ञापन जारी करने का प्रयास करेगा।

कोई भी प्रकाशन संबंधित रिलीज़ ऑर्डर की प्रति के बिना बीओसी का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा।

बीओसी अपनी वेबसाइट www.davp.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिलीज़ ऑर्डर जारी करेगा।

11. विज्ञापन जारी करने के लिए मझोले और बड़े श्रेणी के प्रकाशनों के लिए अंक पद्धति

समाचारपत्रों को प्रोत्साहित करने के संबंध में जिनकी प्रसार संख्या एबीसी/आरएनआई द्वारा सत्यापित होगी और विज्ञापन जारी करने में जिनका व्यावसायिक प्रदर्शन बेहतर हो तथा उनमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए बीओसी उद्देश्यपरक मानदंड के आधार पर अंक पद्धति का अनुकरण करेगा और प्रत्येक समाचारपत्र द्वारा अर्जित अंक के आधार पर मझोले और बड़े समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी करेगा।

अंक पद्धति के मानदंड निम्नवत हैं:

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>मानदंड</th><th>अंक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एबीसी/आरएनआई द्वारा प्रमाणित प्रसार संख्या</td><td>25</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पीआईबी से मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसियों की वायर सर्विसेस को अंशदान और जिन्होंने पीसीआई को लेवी का अद्यतित भुगतान किया हो।</td><td>15</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उनके कर्मचारियों का ईपीएफ को अंशदान (एक अंक प्रति एक ईपीएफ खाता तथा अधिकतम 20 अंक)

नीचे दी गई सारणी के अनुसार अंक आबंटित किए जाएंगे:
<table>
<tr><td>कर्मचारियों की संख्या</td><td>1-5</td><td>5 अंक</td></tr>
<tr><td>कर्मचारियों की संख्या</td><td>6-10</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td>कर्मचारियों की संख्या</td><td>11-15</td><td>15 अंक</td></tr>
<tr><td>कर्मचारियों की संख्या</td><td>16 एवं अधिक</td><td>20 अंक</td></tr>
</table></td><td>20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को वार्षिक अंशदान का भुगतान</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5</td><td>स्वयं की प्रेस में मुद्रण</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पृष्ठों की संख्या
16 पृष्ठ अथवा इससे अधिक- 20
14 पृष्ठ - 18
12 पृष्ठ - 16
10 पृष्ठ - 14
8 पृष्ठ - 12</td><td>20</td></tr>
</table>

	8 पृष्ठ से कम- 0 (एक पृष्ठ 1716 वर्ग सें.मी. के बराबर है)	

बीओसी के अनिवार्य विज्ञापनों को छोड़कर मझोले श्रेणी के समाचारपत्र केवल 45 से अधिक अंक प्राप्त करने पर ही विज्ञापन प्राप्त कर सकेंगे।

12. विज्ञापनों का संतुलित वितरण

प्रदर्शन (डिस्पले) विज्ञापन जारी करते समय बीओसी प्रसार संख्या, भाषा, कवरेज एरिया लक्षित पाठकों आदि की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के अखबारों में एक संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित करेगा। इस प्रयोजन के लिए लघु, मझोले और बड़े समाचारपत्रों में विज्ञापनों का वितरण, स्थान (वर्ग सें.मी.) के आधार पर, जहाँ तक संभव हो, निम्नवत होगा:

श्रेणी	**सीमा (स्थान के आधार पर)**
लघु	- 15%
मझोले	- 35%
बड़े	- 50%

विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों के बीच विज्ञापनों का वितरण स्थान के आधार पर निम्नानुसार होगा:

श्रेणी	**सीमा (स्थान के आधार पर)**
अंग्रेज़ी	- 20% (लगभग)
भारतीय भाषाएं	- 80% (लगभग)

उपर्युक्त मानदंड निर्देशात्मक हैं और मंत्रालयों/विभागों की समग्र मीडिया रणनीति में इनका दृढ़ता से पालन करना है ताकि अनुकूलतम राशि में अधिकतम कवरेज सुनिश्चित की जा सके। तथापि कुछ विशिष्ट मामलों में जहाँ ग्राहक मंत्रालय/विभाग इन मानदंडों में परिवर्तन चाहते हैं, तो उन्हें इस संबंध में बीओसी को आदेश प्रस्तुत करते समय पूर्ण तथा विस्तृत तर्कसंगतता देनी होगी।

13. भुगतान और बिल

बीओसी ईसीएस अथवा एनईएफटी द्वारा प्रकाशनों/कंपनी के नाम से उनके खाते में विज्ञापन बिलों की राशि का भुगतान करेगा। यह प्रकाशक की जिम्मेदारी होगी कि वह बीओसी को मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित घोषणा की स्व-सत्यापित प्रति द्वारा विधिवत् रूप से सूचित करे ताकि त्वरित और पारदर्शी भुगतान किया जा सके।

प्रत्येक प्रकाशनों को सभी तरह से पूर्ण और संबंधित दस्तावेज़ों सहित बीओसी के रिलीज़ आदेश के अनुसार अपने विज्ञापनों के प्रकाशन के बिल विज्ञापन के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर ही प्रस्तुत करने होंगे। बीओसी बिल की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर ही बिल का भुगतान करने का हर संभव प्रयास करेगा । बीओसी बिल देर से प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगा सकता है जो सभी प्रकाशकों पर एक समान लागू होगा।

14. प्रकाशनों द्वारा प्रकाशन प्रति को जमा करना

प्रत्येक प्रकाशन को अपने खर्च की एक प्रति अपनी कीमत पर, जिसमें बीओसी का विज्ञापन छपा हो, ग्राहक मंत्रालय/ विभाग/ संगठन को रिलीज़ ऑर्डर में दिए गए पते पर भेजना होगा। ऐसा न करने पर विज्ञापन के लिए भुगतान करने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि के दौरान में बीओसी पैनल में शामिल किसी भी प्रकाशन की नमूना प्रतियों की नियमित आपूर्ति की मांग कर सकता है।

15. बीओसी को प्रकाशन की पुष्टि

प्रकाशनों को रिलीज़ ऑर्डर जारी करने के दो घंटों के भीतर ई-मेल के माध्यम से बीओसी को कारण बताते हुए रिपोर्ट/सूचित करना होगा, यदि वे निर्धारित तारीख तक विज्ञापन प्रकाशित करने में सक्षम न हों इसके साथ ही, समाचारपत्रों को रिलीज़ ऑर्डर जारी करने के 48 घंटे के भीतर ही बीओसी को कारण बताते हुए सूचित करना होगा, यदि वे निर्धारित तिथि तक विज्ञापन प्रकाशित करने में सक्षम न हों।

16. विज्ञापनों का स्थान निर्धारण

प्रकाशनों को बीओसी के विज्ञापनों के प्रकाशन की तिथि का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रकाशन, बीओसी द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए प्रकाशन के सबसे अधिक देखे जाने वाले पृष्ठों, विशेष रूप से सीधे हाथ पर पड़ने वाले पृष्ठों पर प्रकाशित करने के लिए बाध्यता होगी। बीओसी प्रकाशक से विशेष रूप से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विज्ञापनों को प्रथम पृष्ठ सहित, विशिष्ट पृष्ठों पर छपवाने का अनुरोध भी कर सकता है। ऐसे मामलों में बीओसी क्रिएटिव के साथ 24 घंटे पहले रिलीज़ ऑर्डर जारी करने का प्रयास करेगा।

बीओसी द्वारा रिलीज़ ऑर्डर जारी करते समय, ग्राहक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से किसी दिए गए अभियान के अपेक्षित संदेश, लक्षित पाठकों और विशेष रूप क्षेत्रों पर ज़ोर दिया जाएगा।

प्रकाशक को विज्ञापन के छपने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में उसी दिन बीओसी को देनी होगी।

17. निलंबन, अयोग्यता और दंड

बीओसी के प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक किसी प्रकाशन को तत्काल प्रभाव से बारह (12) माह की अवधि तक सूचीबद्धता से निलंबित कर सकते हैं, यदि:

(i) यह पाया गया है कि प्रकाशन ने जानबूझकर प्रसार संख्या अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में झूठी सूचना दी है; अथवा

(ii) यह पाया गया है कि उसने प्रकाशन बंद कर दिया है, उसकी अवधि या शीर्षक बदल दिया है या उसका प्रकाशन अनियमित हो गया है या उसने किसी पूर्व सूचना के बिना अपना पता बदल दिया है; अथवा

(iii) यह पाया गया कि प्रकाशन आरएनआई को अपनी वार्षिक विवरणी को पीआरबी अधिनियम के अनुसार अथवा निर्धारित एजेंसियों से प्राप्त होने वाले वार्षिक प्रसार संख्या प्रमाणपत्र बीओसी को प्रस्तुत करने में असफल रहा; अथवा

(iv) यह पाया गया कि किसी भी समय प्रसार के आंकड़े झूठे अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिए गए हैं। प्रकाशक को अधिक दावा किए गए प्रसार के कारण भुगतान की गई राशि का अंतर प्रकाशक से वसूला जाएगा और इस राशि को वसूले जाने तक उस प्रकाशन को सूचीबद्धता से निलंबित कर दिया जाएगा।

(v) प्रकाशक/स्वामी/मुख्य संपादक को अदालत द्वारा किसी आपराधिक आरोप/आचरण के लिए दोषी ठहराया गया हो। सज़ा होने के मामले में, भारतीय प्रेस परिषद् की विशिष्ट सिफारिश के अनुसार प्रकाशन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी।

(vi) कोई प्रकाशन भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्तशासी निकायों की ओर से बीओसी द्वारा जारी विज्ञापनों को लेने और प्रकाशित करने से तीन बार से अधिक मना करता है।
बशर्ते कि बीओसी के प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक उपरोक्त (i), (ii), (iii) एवं (iv) से संबंधित मामलों में संबंधित प्रकाशन को पर्याप्त अवसर दिए बिना, निलंबन के कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। उपर्युक्त (i), (ii) एवं (iii) के मामले में बीओसी, प्रकाशक से, उसे पहले किए जा चुके अधिक

भुगतान की वसूली करेगा। प्रकाशक को बीओसी से वसूली के लिए मांग पत्र जारी होने की तारीख के 60 दिन के भीतर यह राशि जमा करनी होगी अन्यथा प्रकाशन को बिना कोई नोटिस दिए तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा और बकाया राशि बीओसी के पास लंबित पड़े बिलों/भुगतानों, 'यदि कोई हों तो', से वसूली की जाएगी। जब तक यह वसूली नहीं हो जाती तब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

(vii) **दण्डः** यदि भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा यह पाया गया कि प्रकाशन ने 'पत्रकारिता के आचार नियमों' का उल्लंघन किया है या वह किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त है; बीओसी द्वारा ऐसे प्रकाशनों पर नीचे दिए गए दंड लगाए जा सकते हैं:-

क. पहली बार अपराध करने पर प्रकाशन के संस्करण को चेतावनी देना अथवा 15 दिन के लिए निलंबित कर देना।

ख. दूसरी बार अपराध करने पर प्रकाशन के एक ही संस्करण को दो महीने के लिए निलंबित करना।

ग. तीसरे बार अपराध करने पर प्रकाशन के एक ही संस्करण को छह महीने के लिए निलंबित करना।

टिप्पणी: भारतीय प्रेस परिषद् के आदेशों पर बीओसी और आरएनआई के प्रतिनिधियों से गठित समिति द्वारा अलग से विचार किया जाएगा जिसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए दंड का निर्धारण किया जाएगा।

18. नीतिगत दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

ये दिशानिर्देश बीओसी की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

ये प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति दिशानिर्देश बीओसी के सभी पूर्व के नीति दिशानिर्देशों/आंतरिक दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करेंगे।

19. समीक्षा

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत बीओसी के प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

****

परिशिष्ट - क

भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति-2020

समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की प्रसार/परिचालन संख्या के संबंध में कॉस्ट/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा

अवधि: अप्रैल _____से मार्च_____

(1) समाचारपत्र का नाम (बड़े अक्षरों में) आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या सहित .:_____

_____

_____

(2) प्रकाशन का राज्य/स्थान:_____

(3) भाषा: _____ (4) अवधि:_____

(5) प्रकाशक का नाम: _____

(6) पृष्ठों की संख्या:_____ (7) प्रति पृष्ठ कॉलमों की संख्या:____ (8)कॉलम की चौड़ाई: _____ सें.मी.में

(9) (i) प्रयोग किए गए कागज़ की गुणवत्ता (कृपया (√)निशान लगाएं):सामान्य/मानक अखबारी कागज चमकीला; प्रयोग किए गए अखबारी कागज का जीएसएम:

(ii) अवधि के दौरान प्रयोग किए गए अखबारी कागज और स्याही का विवरण:

	समाचार छपाई (कागज)			स्याही	
	मात्रा	दर/यूनिट	राशि	मात्रा	राशि
ग्रेड	(एम.टी.)*	(रुपए)	(रुपए)	(लि.)	(रुपए)
प्रारंभिक स्टॉक (माल)					
खरीद-आयातित					
स्वदेशी					
कुल					
जोड़-प्राप्त ऋण/वापस प्राप्त					
कुल					
घटाएं – अंतिम स्टॉक (माल)					
- दिए गए/वापस प्राप्त ऋण					
निवल उपभोग					

* 'रिम' में केवल शीट फेड मशीन का उपयोग करने वालों द्वारा इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए (इस तालिका में दर्शाई गई सामग्री की खपत में मद संख्या 13 के अनुसार बिक्रीत प्रतियों की संख्या/मुफ्त वितरित प्रतियों की मात्रा में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए)

(10) प्रिंटिंग प्रेस का विवरण: ऑफसेट (वेब/शीट फेड)/ लैटर प्रेस

(11) प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल:

(12) प्रति प्रकाशन दिवस पर बिक्रीत प्रतियों की औसत संख्या:_____

(13) निःशुल्क वितरित की गई प्रतियों की औसत संख्या:_____

(14) प्रति प्रकाशन दिवस पर औसत प्रिंट ऑर्डर:_____

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण/तथ्य सत्य एवं सटीक हैं।

प्रिंटर और प्रकाशक के हस्ताक्षर एवं मोहर दिनांक सहित:

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरणों की जाँच की गई और उन्हें सही पाया गया है।

कॉस्ट/चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर मोहर एवं दिनांक सहित:

नाम :

पता :

सदस्यता सं. :

दूरभाष(कार्यालय) : दूरभाष(आवास):

मोबाइल नं. : ई-मेल आई.डी.: